

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—411 / 2014

संस्थित दिनांक—20.05.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. रामकिशोर पिता भरतलाल, उम्र 38 साल, जाति ढीमर,
निवासी धुर्वा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. राजेन्द्र पिता महंगूलाल, उम्र 25 साल, जाति ढीमर,
निवासी धुर्वा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. दशवंत पिता सहगूलाल, उम्र 24 साल, जाति ढीमर,
निवासी धुर्वा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 02/02/2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 506 (भाग—2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 29.04.2014 को सुबह के 08:00 बजे स्थान फरियादी के घर के सामने धुर्वा थानान्तर्गत परसवाड़ा में लोकस्थान पर फरियादी नन्हूलाल को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ—बहन के अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं नन्हूलाल को फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नन्हूलाल ने

आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 29.04.2014 को सुबह 08:00 बजे उसके घर के सामने प्लास्टर के लिये मिट्टी खोद रहा था तभी रामकिशोर, राजेन्द्र, दशवंत आये और उसके लड़के अमित को तीनों लोग बोलने लगे कि तूने गोलू के बारात में जाते समय गाड़ी से मेमोरी कार्ड चुराया है। अमित चोरी करने से मना करने लगा तब तीनों व्यक्ति उसे व उसके लड़के को मादरचोद, बहन चोद की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे। दशवंत ने उसके गले और दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ लिया और रामकिशोर ने पास में रखे फावड़े से उसके सिर में मारा व राजेन्द्र ने भी उसका गला पकड़ लिया और ईट से सिर में मारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 324/34, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी रंजिश वश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है।

(06) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.04.2014 को सुबह के 08:00 बजे स्थान फरियादी के घर के सामने धुर्वा थानान्तर्गत परसवाड़ा में

फरियादी नन्हूलाल को फावड़े से मारकर
स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता तीरथप्रसाद (अ.सा. 5) का कहना है कि उसे दिनांक 29.04.2014 को थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 71/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी नन्हूलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। दिनांक 24.04.2014 को आरोपी रामकिशोर से एक फावड़ा बेसा लगा हुआ गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 29.04.2014 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-08, 09 एवं 10 तैयार किया था। फरियादी नन्हूलाल एवं साक्षी जीवन मंगलसिंह, महेश, गणेश तथा दोहराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(08) अभियोजन साक्षी डॉक्टर हरिशकुमार मसराम (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये आहत नन्हूलाल पिता चम्मुलाल, उम्र 55 साल के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के राईट साईड पर पीछे की तरफ लेसेरेटेड चोट होना पायी थी, जिसका आकाकर 2X0.5 से.मी.X0.5 से.मी. था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के दो से चार घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(09) अभियोजन साक्षी/फरियादी नन्हूलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना वर्ष 2014 की उसके घर के सामने की है। आरोपीगण उसके लड़के को मोबाईल की कार्ड चुराने की बात कहने लगे तो उसका लड़का कार्ड चुराने से मना किया तो आरोपीगण उसके लड़के अमित को मारने लगे। उसने बीच-बचाव किया तो तीनों आरोपीगण उसे मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे एवं उसके साथ भी मारपीट करने लगे। आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में लिखायी थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। अभियोजन द्वारा साक्षी

को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसे फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(10) अभियोजन साक्षी मंगलसिंह (अ.सा. 2) एवं जीवनसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी रंजिश वश पुलिस से मिलकर आरोपीगण विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता तीरथप्रसाद (अ.सा. 5) का कहना है कि उसे दिनांक 29.04.2014 को थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 71/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी नन्हूलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। दिनांक 24.04.2014 को आरोपी रामकिशोर से एक फावड़ा बेसा लगा हुआ गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 29.04.2014 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-08, 09 एवं 10 तैयार किया था। फरियादी नन्हूलाल एवं साक्षी जीवन मंगलसिंह, महेश, गणेश तथा दोहराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(14) अभियोजन साक्षी डॉक्टर हरिशकुमार मसराम (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये आहत नन्हूलाल पिता चम्मुलाल, उम्र 55 साल के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के राईट साईड पर पीछे की तरफ लेसेरेटेड चोट होना पायी थी, जिसका

आकार 2x0.5 से.मी.x0.5 से.मी. था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के दो से चार घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि चोट पथरीली एवं ठोस स्थान पर गिरने से आ सकती है।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादी नन्हूलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना वर्ष 2014 की उसके घर के सामने की है। आरोपीगण उसके लड़के को मोबाईल की कार्ड चुराने की बात कहने लगे तो उसका लड़का कार्ड चुराने से मना किया तो आरोपीगण उसके लड़के अमित को मारने लगे। उसने बीच-बचाव किया तो तीनों आरोपीगण उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे एवं उसके साथ भी मारपीट करने लगे। आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में लिखायी थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसे फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 03 में यह स्वीकार किया है कि बीच-बचाव करने गया तो झूमा झपटी में गिरने से उसे चोट आयी थी एवं प्रदर्श पी-01 पर कोरे पर हस्ताक्षर किये थे। घटनास्थल के मौका नक्शा पर भी उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे।

(16) अभियोजन साक्षी मंगलसिंह (अ.सा. 2) एवं जीवनसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता तीरथप्रसाद (अ.सा. 5) के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी नन्हूलाल (अ.सा. 1) ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसे फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक

मात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपीगण ने दिनांक 29.04.2014 को सुबह के 08:00 बजे स्थान फरियादी के घर के सामने धुर्वा थानान्तर्गत परसवाड़ा में फरियादी नन्हूलाल को फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपीगण ने दिनांक 29.04.2014 को सुबह के 08:00 बजे स्थान फरियादी के घर के सामने धुर्वा थानान्तर्गत परसवाड़ा में फरियादी नन्हूलाल को फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा फावड़ा मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)